क्रम-संख्या–152

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026
चैत्र 27, 1948 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0

पी0सी0एफ0 भवन, 32–स्टेशन रोड, लखनऊ

संख्या 619/रा0नि0आ0-3/पं0नि0/26-25–2026

लखनऊ, 17 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

संशोधन

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राज प्रताप सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ0 प्र0 आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 608/रा0नि0आ0–3/पं0नि0/26–25/2026, दिनांक 10 अप्रैल, 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में निम्नांकित समय–सारिणी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली हेतु कार्यवाही की जायेगी।

समय–सारिणी

क्र0 सं0	कार्यक्रम	अवधि
1	मतदाताओं के Deduplication एवं कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही	21 अप्रैल, 2026 से 28 मई, 2026 तक
2	कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांकन, SVN आवंटन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियाँ कराने आदि।	29 मई, 2026 से 9 जून, 2026 तक
3	निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन	10 जून, 2026

2– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

3– निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली का कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

आज्ञा से,
राज प्रताप सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदे ा।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 80 राजपत्र–2026–(159)–588+10=598 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।